संख्या:01/2021/07/12-2-2021-बजट.2/2010

प्रेषक,

राधेश्याम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 01 जनवरी, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: एस0एफ0 1691 टी0 दिनांक 20 नवम्बर, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 48/2020/1940/12-2-2020-बजट.2/2010 दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 के क्रम में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-0401-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति तथा 0402-बोरियों की लागत प्रासंगिक व्यय-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में क्रमश: प्राविधानित धनराशि रूपये 26000.00 लाख तथा रूपये 400.00 लाख के सापेक्ष क्रमश: रूपये 10000.00 लाख तथा रूपये 100.00 लाख अर्थात कुल रूपये 10100.00 लाख (रूपये एक सौ एक करोड़ मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुश्रवण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(2) इन बीजों के बिक्री के पश्चात प्राप्त धनराशि का नियमानुसार राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व कृषि विभाग का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(5) धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 व अन्य संगत शासनादेशों की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किया जाए। पारदर्शी तरीके से डी0बी0टी0 कराकर अनुदान वितरित होगा तथा वित्त विभाग की शर्तो का अनुपालन करते हुए कार्य किया जाए तथा प्राप्तियॉ शासकीय कोष में जमा की जायें।

3. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

संख्या: 01/2021/07(1)/12-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, फैजाबाद रोड, महानगर, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3/ गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।